अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल — 462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र / संतशि / 10 /
भोपाल दिनांक

1. डॉ. एम.एल. जैन,
प्रोफेसर
रजिस्टर्ड डाक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
एस.जी.एस.आई.टी.एस.,इंदौर

आवेदक / अपीलार्थी

विरूद्ध

2. लोक सूचना अधिकारी
रजिस्टर्ड डाक से एस.जी.एस.आई.टी.एस,
इंदौर ।

अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी

प्रथम अपील सुनवाई निर्णय दिनांक 12.07.2010

आवेदक / अपीलार्थी उपस्थित ।

अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी (सहा. लोक सूचना अधिकारी, श्री एम.एस.जीना, एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर उपस्थित)।

1. आवेदक / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 04.06.2010 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। आवेदक / अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर से सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.04.2010 प्रस्तुत कर जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन अनुसार उक्त आवेदन पर कोई भी कार्यवाही न किये जाने कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने के पश्चात बताया गया कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी / सूचना स्पष्ट न होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है एवं अवगत कराया गया कि आवेदक पुनः एक नवीन आवेदन प्रस्तुत कर चाही जाने वाली जानकारी का स्पष्ट उल्लेख कर (विषय, पत्र / आदेश क्रमांक आदि) सूचना का अधिकार अधिनियम–05 के तहत जानकारी / सूचना प्राप्त कर सकते है। जानकारी प्रोफेसर पी.के.सेन से व्यक्तिगत रूप से चाही गई है या संस्था के प्राचार्य द्वारा लिखे गये पत्र, यह भी स्पष्ट करें।

3. समक्ष में प्रस्तुत प्रकरण एवं आवेदक / अपीलार्थी द्वारा अपील में बताए तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि जो जानकारी लोक सूचना अधिकारी, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर से चाही गई है उसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा न तो यथासंभव जानकारी उपलब्ध कराई गई है और न ही इस दिशा में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कोई सकारात्मक पहल उनके द्वारा की गई है।

4. आवेदक / अपीलार्थी के आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनावेदक / प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम–05 को गंभीरता से लेते हुए प्रकरणों का निराकरण समय–सीमा में किया जाये।

निरंतर........2 / –

5. अनावेदक/ प्रति अपीलार्थी (लोक सूचना अधिकारी, श्री जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर) स्पष्ट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय–सीमा में जानकारी प्रदान न करने एवं आवेदक/ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई भी कार्यवाही न किया जाकर (लंबित रखते हुए) सूचना का अधिकार अधिनियम–05 को गंभीरतापूर्वक न लेने के फलस्वरूप क्यों न आपके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) (2) के तहत लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इस संबंध में आपको पूर्व में भी एक अन्य प्रकरण पर की गई प्रथम अपील सुनवाई निर्णय क्र. 974 दिनांक 8.12.2009 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। अब इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका भविष्य में ध्यान रखा जावे।

6. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील का आवेदक/अपीलार्थी एवं अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी की उपस्थिति में निराकरण किया गया ।

7. उपरोक्तानुसार अपील के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए असंतुष्ट होने की स्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपीलार्थी द्वारा अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र. सूआप्र/संतशि/10/382
भोपाल दिनांक 14/7/10

प्रतिलिपि :–

1. मान. मुख्य सूचना आयुक्त, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, 58, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – म.प्र.
2. वरिष्ठ निज सहायक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र., भोपाल ।
3. कम्प्यूटर प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय,म.प्र. की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश